न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 14/2020 प्रार्थना पत्र

अनवान

1. श्रीमती मीना कुंवर पुत्री श्री विजयसिंह पत्नि श्री विनोद सिंह सिसोदिया जाति राजपूत निवासी लीलवास गोदाणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर हाल मुकाम गांव तिरोल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
2. श्री प्रवीण सिंह पिता श्री विजय सिंह पडियार जाति राजपूत नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती इन्द्रा कुंवर पत्नि श्री विजय सिंह पडिहार जाति राजपूत निवासी लीलवास गोराणा, तहसील झाडोल जिला उदयपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री विजय सिंह पडियार पिता श्री लक्ष्मण सिंह पडिहार जाति राजपूत निवासी लींलवास गोराणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
2. श्री बालू सिंह पडिहार पिता श्री लक्ष्मण सिंह पडिहार जाति राजपूत निवासी लीलवास गोराणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
3. श्रीमती लेहर कुंवर पत्नि श्री लक्ष्मण सिंह पडिहार जाति राजपूत निवासी लीलवास गोराणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक–29.10.2020

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा लीलावास ग्राम गोदाणा पटवार सर्कल गोदाणा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र झाडोल तहसील झाडोल, जिला उदयपुर में कृषि भूमि स्थित है जिसके खाता संख्या नये 43, 44 व पुराने 27, 42 होकर निम्नानुसार आराजियात है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

खाता संख्या नये 43 व पुरानी 27 में स्थित आराजीयात

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	185	0.09	2.11
2	255	0.16	0.06
3	256	0.20	0.07
4	257	0.20	0.07
5	258	0.07	0.27
6	259	0.09	0.03
7	260	0.18	1.25
8	261	0.12	0.94
9	263	0.05	0.39
10	265	0.22	0.08
11	266	0.24	0.09
कुल किता	11	1.62	5.36

Akshay
सहायक कलक्टर
झाडोल (फ) जिला उदयपुर

सहायक कलक्टर, झाडोल * जिला उदयपुर (राज.)

उक्त आराजियात में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/9 हक हिस्सा निहित है तथा विपक्षी या 1 का 1/9 और पिवक्षी संख्या 2, 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है।

ा संख्या नये 44 व पुरानी 42 में स्थित आराजीयात

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	236	0.11	0.65
2	254	0.51	0.19
3	326	0.13	0.25
4	330	0.06	0.02
5	331	0.13	0.76
6	344	0.30	0.47
7	352	0.11	0.17
8	355	0.05	0.08
कुल किता	8	1.40	2.59

उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/9 तक हिस्सा निहित है।

2. प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के खानदान का सजरा निम्नलिखत है:–

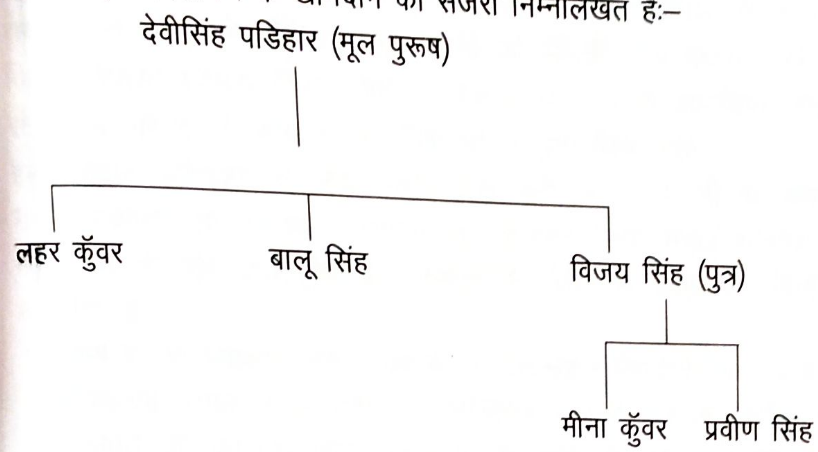

3. प्रार्थीण एवं विपक्षीगण प्रस्तु सजरा अनुसार मूल पुरूष श्री देवीसिंह पडिहार होकर उनके दो पुत्र बालू सिंह व विजय सिंह है तथा पत्नि लेकर कुंवर भी हयात विजय सिंह के दो संताने है जो मीना कुंवर व प्रवीण सिंह होकर प्रार्थीगण है।
4. वादग्रस्त संपति संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपति होकर प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 श्री विजय सिह के जाईन्दा ऑलाद होकर वाद की कलम संख्या 2 में वर्णित हिस्सेनुसार प्रार्थीगण का जन्म से ही हिस्सा निहित हो प्रार्थीगण वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित हिस्से के हकदार होकर तदनुसार घोषणा कराने का अधिकारी होना बताया गया है।
5. वादग्रस्त संपति (आराजीयात) प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की मौरूसी संपति होने के बावजूद विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के कर्ताखानदान होने तथा राजस्व रिकार्ड में इनका नाम अंकित होने का नाजायज लाभ उठाते हुये वादग्रस्त आराजीयात को मनमाफिक तरीके से अन्यत्र विक्रय करने का आमादा हो नये नये ग्राहको को लाकर दिखा मौल भाव कर रहे है और प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने हेतु निवेदन किया गया है कि वे वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भाग को विभाजन से पूर्व अन्यत्र नही करे या अन्य से करावे।
6. वादग्रस्त संपति प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपति होकर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। प्रार्थीगण विपक्षी के जाईन्दा संतान हो जन्म से उक्त संपति का उपयोग उपभोग कर रहे है जिससे सुविध संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होकर यदि विपक्षीगण द्वारा उक्त संपति को अन्यत्र रहन, बेह बकक्षीश या अन्य किसी

तरह से अंतरित कर प्रार्थीगण के रिहायश में दखल अंदाजी की तो प्रार्थीगण को अपूणीय क्षति होगी जिसका ऐवजाना नकदी मे कोई संभव नही है।

7. प्रार्थीगण उक्त हिस्सेनुसार की भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया है एवं उक्त आराजीयात के किसी भाग को रहन बेह बकक्षीश या अन्य किसी भी प्रकार से अंतरित नही करे तथा प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नही करे व कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नही करे उक्त कृत्य न तो स्वंय करे या अपने नौकर एजेन्ट रिश्तेदार आदि से ही करावे।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 3 की प्रोपर तामिल हो चुकी है। पेशी दिनांक 19.03.2020 को विपक्षीगण को रूक–रूक कर आवाज दिलवाई गई। विपक्षीगण अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उक्त विवादग्रस्त आराजीयात भूमि में अंतरिम निषेधाज्ञा चाही गई थी जो दिनांक 19.03.2020 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2020 तक प्रार्थी की हिस्से तक की भूमि पर राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई थी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश कर उपर वर्णित आराजीयात में से आराजी नं. 254 रकबा 0.51 को पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा से मुक्त रखा जाकर शेष आराजी पर अंतरिम निषेधाज्ञा की स्थिति को पूर्व की तरह यथावत रखने हेतु निवेदन किया। जिसको स्वीकार किया जाकर दिनांक 13.10.2020 की आदेशिका अनुसार आराजी संख्या 254 को पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा से मुक्त किया गया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीन बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

   1. **प्रथम दृष्टया मामला:–** हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत मौजा लीलावास पटवार सर्कल गोदाणा भू–अभिलेख निरीक्षक झाडोल तहसील झाडोल जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता सं. 43 (नई) एवं 27 (पुरानी) में आराजी नं. 185, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 265 एवं 266 कुल किता 11 कुल रकबा 1.62 हैक्टर एवं के खाता सं. 44 (नई) एवं 42 (पुरानी) में आराजी नं. 236, 254, 326, 330, 331, 344, 352 एवं 355 कुल किता 8 कुल रकबा 1.40 हैक्टर प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज है। साथ ही प्रार्थना पत्र में प्रस्तूत नामांतरण संख्या 158 मौजा लीलावास पटवार सर्कल गोदाणा स्वीकृति दिनांक 20.11.2014 से स्पष्ट है कि खाता संख्या 43 (जमाबंदी संवत् 2072–75) में वर्णित आराजीत् पूर्व में विपक्षी में 1 से 3 के पिता/पति देवी सिंह उर्फ लक्ष्मण सिंह के नाम दर्ज थी। इसी प्रकार नामांतरकरण संख्या 65 मौजा लिलावास पटवार हल्का बदराणा स्वीकृति दिनांक 21.01.2006 से यह स्पष्ट है कि खाता संख्या 42 (जमाबंदी संवत् 2064–67) जिससे नया खाता संख्या 44 (जमाबंदी संवत् 2072–75) बना है, में वर्णित आराजीयात पूर्व में विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता/पति देवी सिंह उर्फ लक्ष्मण सिंह पिता सोहन सिंह के नाम दर्ज थी।

      इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त सम्पति विपक्षी संख्या 1 से 3 को उनके पिता/पति के मृत्यु के पश्चात विरासत में मिली है। अतः वादग्रस्त सम्पति सयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पति होकर प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 जो कि विपक्षी संख्या 1 की संतान है, का हक–हिस्सा निहित है।

      अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में शामिल होता है।

Akshay
...क कलेक्टर
...(क), जिला उदयपुर

सहायक कलेक्टर, झाडोल ... जिला उदयपुर

9. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम है व विपक्षीगण कर्ताखानदान है, इस बात का लाभ लेकर वादग्रस्त भूमि का बेचान करते है तो प्रार्थीगण जिनका अविभाजित मौरूसी संपति पर जन्म से अधिकार निहित है, को भारी नुकसान उठाना पडेगा।

सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थीगण 1 व 2 के पक्ष में साबित होते है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो पर मनन किया। वादवर्णित भूमि विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के विधिक वारिसान है वादग्रस्त भूमि अविभाजित मौरूसी संपति है जिस पर प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार निहित है। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के बेचान करने पर अमादा है अतः प्रार्थीगण द्वारा मूलवाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा. का. अधि. पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा व विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाहते है। जिसका निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जायेगा।

11. दौराने मूलवाद यदि प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा। सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्ण क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी खातेदार के पक्ष में साबित हुये है। प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना न्यायोचित होगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.का.अधि. 1955 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 रा. का. अधि. स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम लीलावास पटवार हल्का गोदाणा की आराजी नम्बर जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता सं. 43 (नई) एवं 27 (पुरानी) में आराजी नं. 185, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 265 एवं 266 कुल किता 11 कुल रकबा 1.62 हैक्टर एवं के खाता सं. 44 (नई) एवं 42 (पुरानी) में आराजी नं. 236, 326, 330, 331, 344, 352 एवं 355 कुल किता 7 कुल रकबा 0.89 हैक्टर में विपक्षी सं. 1 विजयसिंह परिहार मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के हिस्से तक की भूमि पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति को बनाये रखेगें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनवाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर झाडोल
जिला उदयपुर

सहायक कलेक्टर
झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर